संख्या- 1275 /पांच-7-2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाएं, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

चिकित्सा अनुभाग–7

विषयः- प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक रविवार को 'मुख्यमंत्री अरोग्य स्वास्थ्य मेला' आयोजित किया जाना।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को उनके समीप पहुँचाया जाए। रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए तथा उपचार का बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए रोगों को उनके प्रारम्भिक अवस्था में ही चिन्हित किया जाए। इसी उद्देश्य से मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक रविवार को आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह शिविर दिनांक 02.02.2020 से अनवरत आयोजित किये जायेंगे।

2– उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि–

1. यह मेले चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग एवं आयुष विभाग द्वारा संयुक्तरूप से आयोजित किए जाएंगे तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 इसका नोडल विभाग होगा। मेले के कियाकलापों के अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग का दायित्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का होगा।
2. उक्त मेलों का आयोजन जनपदों में जिलाधिकारियों के नेतृत्व में किया जायेगा एवं जिलाधिकारी विभिन्न विभागों से समन्वय करा उक्त हेतु कार्ययोजना विकसित कराते हुए मेलों का सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करेंगें। प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद में स्थित मेडिकल कालेज एवं आयुष विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक रविवार को आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के लिए वर्ष 2020 हेतु एक माइक्रोप्लान विकसित करेंगें तथा जिलाधिकारी से इस माइक्रोप्लान को अनुमोदित कराते हुए दिनांक 31.03.2020 तक का माइक्रोप्लान दिनॉक 10.01.2020 तक निदेशक, स्वास्थ्य द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाएगा (अपेक्षा है कि आगामी दो माह का माइक्रो–प्लान एक बार में अवश्य बना लिया जाय)। माइक्रोप्लान निम्नलिखित प्रारूप में होगा:–

क्र0सं0	जनपद का नाम	प्रा0स्वा0 केन्द्र का नाम	मेला की तिथि	चिकित्सक टीम का विवरण	पैरामेडिकल टीम का विवरण

निदेशक, स्वास्थ्य द्वारा मेले के आयोजन का अनुश्रवण किया जाएगा तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 को अवगत कराया जाएगा।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मलिन बस्तियों/वलनेरेबल क्षेत्रों में विशेष आउटरीच कैम्प्स के लिए रू0 6,500 प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनुमन्य है। इन गतिविधियों का प्रभाव बढ़ाने के लिए इन कैम्प्स को प्रस्तावित मेले के साथ संयुक्तरूप से नियमानुसार आयोजित किया जा सकता है।
4. माइक्रोप्लान बनाते समय यह प्रयास किया जाए कि उस दिवस पर जनपद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम/अभियानों को इनमें समाहित कर लिया जाए।
5. आरोग्य मेला आयोजित होने वाले क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। मेला तिथि से पूर्व पड़ने वाले ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक/ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में इस मेला के विषय में प्रभावी जानकारी दी जाए।
6. जनपदों को आवंटित मेडिकल मोबाइल यूनिट और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) की मोबाइल सचल ईकाइयों को उपयोग में लाया जाए तथा उन्हें मेला दिवस पर मेला स्थल पर ही रखा जाए।
7. मेले का शुभारम्भ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों (मा0 मंत्रीगण/मा0 सांसद/मा0 विधायक/पंचायत प्रतिनिधि) से कराया जाए।
8. प्रस्तावित मेले का समय प्रातः 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक रखा जाएगा।

<u>आरोग्य स्वास्थ्य मेला में तैनात किया जाने वाला मानव–संसाधन</u>

1. मेले में न्यूनतम चार (04) चिकित्सक (एक अनिवार्यतः सरकारी चिकित्सालय में कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सक विभिन्न स्रोतों से जैसे कि आयुष चिकित्सक/निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक/आर0बी0एस0के0 टीम में कार्यरत/संविदा पर कार्यरत चिकित्सक इत्यादि से) एक फार्मासिस्ट, एक प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ/सहायक, स्टाफ नर्स, एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं एक कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर को तैनात किया जाएगा (आयुष विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सक भी उक्त टीम का अंग होंगे)।
2. मेले में जनपद/समीपवर्ती जनपद में स्थित मेडिकल कालेज में पठन–पाठन करने वाले जूनियर रेजीडेन्ट/सीनियर रेजीडेन्ट की तैनाती अतिरिक्त रूप से की जाए तथा नर्सिंग कॉलेजों एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को भी इस मेले में शामिल किया जाए जिससे उन्हें अनुभव प्राप्त हो सके। उक्त हेतु पृथक आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाए।
3. मेले में एक आयुष चिकित्सक की तैनाती की जाए। इस हेतु एक पृथक आदेश आयुष विभाग द्वारा भी निर्गत किया जाए।
4. मेले में निजी चिकित्सकों की सेवा प्राप्त करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा इण्डियन मेडिकल एशोसिएशन की जनपदीय शाखा से समन्वय स्थापित किया जाए।
5. मेले में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।
6. मेडिकल मोबाईल यूनिट तथा आर0बी0एस0के0 की सचल इकाईयों की मानव सम्पदा व सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया जाएगा और यह अतिरिक्त रूप से तैनात की जाएगी।
7. बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पोषण अभियान से संबंधित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त मेले में प्रचार–प्रसार करने एवं पोषण अभियान से सम्बन्धित कार्यवाही करने हेतु पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जाएं।

<u>अरोग्य स्वास्थ्य मेला में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं</u>

मेले में निम्नलिखित सुविधाएं/सेवाएं प्रदान की जाएगी–

- ओ0पी0डी0 सेवाएं
- टीबी, मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, कालाजार, फाइलेरिया एवं कुष्ठ रोग सम्बन्धी जानकारी एवं आवश्यक जॉच एवं उपचार सुविधाए।

- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख, स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की स्कीनिंग एवं यथोचित स्तर पर संदर्भन एवं फालो–अप।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्य मंत्री जन आरोग्य अभियान की जानकारी तथा पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरण।
- गर्भावस्था एवं प्रसवकालीन परामर्श तथा सेवाएं
- संस्थागत प्रसव सम्बन्धी जागरूकता
- जन्म पंजीकरण परामर्श तथा सेवाएं
- नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा परामर्श एवं सेवाएं
- पूर्ण टीकाकरण परामर्श तथा सेवाएं
- परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श एवं सुविधाए
- बच्चों में डायरिया एवं न्यूमोनिया के रोकथाम, बचाव एवं उपचार की जानकारी एवं सुविधाए।
- तम्बाकू सेवन को रोकने के लिए जागरूकता, तम्बाकू छोड़ने में सहायता के उपाय।
- समस्त आधारभूत जाँच सुविधाएं एवं जिन जाँचों को इस स्तर पर करना संभव नहीं है उन जाँचों हेतु उच्चस्तरीय ईकाइयों में संदर्भन।
- पोषण अभियान का प्रचार–प्रसार तथा कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं उनके उपचार हेतु समुचित कार्यवाही।

3– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक डैशबोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कैम्प में उपस्थित स्टाफ, उपचारित मरीजों आदि का विवरण प्रदर्शित होगा। कैम्प समाप्ति के पश्चात कैम्प प्रभारी द्वारा मुख्यचिकित्साधिकारी के माध्यम से संकलित सूचना डैशबोर्ड पर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

4– कृपया आरोग्य स्वास्थ्य मेले के सफल आयोजन हेतु उक्त निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–1275/पांच–7–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आयुष, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, यूनानी/आयुर्वेद/होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बैठक दि०08.01.2020 समय 11.00 पूर्वान्ह

संख्या–डी0जी0एम0ई0(कैम्प)/2020/191 लखनऊःदिनांक– 02 जनवरी, 2020

प्रतिलिपि निदेशक आर0एम0एल0लखनऊ, निदेशक एस0जी0पी0जी0आई0, कुल सचिव के0जी0एम0यू0 सचिव स्टेट मेडिकल फैकल्टी, प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज,गोरखपुर,कानपुर एवं अम्बेडकर नगर को उक्त पत्र के संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा विभाग की गाइडलाइन्स तैयार करने हेतु दिनांक 08.01.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे महानिदेशालय में आहूत बेठक में प्रतिभाग करने की कृपा करें।

(डा0के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।